

भारत स्कौट और गाइड, उत्तर प्रदेश



-: सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना :-

प्रादेशिक मुख्यालय : गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ

E mail : upscoutsguides@yahoo.com

Contact No. 0522-4323838

Website : www.bsgup.org



भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०

फोन : 0522-2332928

9839392275

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, गोल मार्केट, मद्दानगर, तस्वनऊ - 226006

E-mail : upscoutsguides@yahoo.com, Website : www.bsgup.org

रजिस्ट्रेशन नंबर १-९४०७/१९५९-१९६०

मुख्य मरक्षक

माननीय श्री गण्डपाल

उ० प्र०

उप मुख्य मरक्षक

माननीय मुख्यमंत्री

उ० प्र०

अध्यक्ष

डॉ महेन्द्र सिंह

माननीय मन्त्री "जल शक्ति"

उ० प्र०

मुख्यायुक्त

डॉ प्रभात कुमार

आईएएस०(सोन०)

अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०

पत्रांक संख्या - संगा० 60/613.../ 2021-22

दिनांक ...27.09.2021...

सेवा में,

समस्त जिला मुख्यायुक्त,
भारत स्काउट और गाइड,
उत्तर प्रदेश

विषय:- सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना के संबंध में।

महोदय,

स्काउटिंग / गाइडिंग कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ की जा रही है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं दिशा निर्देश संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे हैं।

आपसे अनुरोध है कि उक्त विषयक योजना में अपने जनपद की प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए जनपद पुरस्कार योजना के विषयों पर आवश्यक कार्यवाही समय से करनें का कष्ट करें।

संलग्नक:-उक्तवत्।

भवदीय,

(डॉ प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- 1—समस्त प्रादेशिक आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।
- 2—समस्त सहायक प्रादेशिक आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।
- 3—प्रादेशिक सचिव भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।
- 4—प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।
- 5—समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डल स्थित जनपदों से उक्त उक्त विषयक योजना में प्रतिभागिता कराना सुनिश्चित करें।
- 6—समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
- 7—समस्त जिला कमिशनर (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।
- 8—समस्त जिला सचिव भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।
- 9—जिला संगठन/प्रशिक्षण कमिशनर (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र० को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त



bsgup



twitter.com/bsgup



facebook.com/bsgup.org



instagram.com/bsgup



सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना - नियमावली

प्रस्तावना:—प्रदेश स्तर पर सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। सभी जनपदों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:—श्रेणी “ए” में 35 जनपद तथा श्रेणी बी में 40 जनपद रखे गये हैं (सूची संलग्न है)।

उद्देश्य : योजना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य है :-

1. जनपदों द्वारा स्काउट/गाइड के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों के प्रोत्साहन देना ।
2. युवा वर्ग में स्काउट/गाइड के सिद्धान्तों के प्रति रुचि उत्पन्न करते हुए जनपद स्तर पर बढ़ावा देना ।
3. जनपद स्तर पर स्काउट/गाइड से जुड़े पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करना ।

नियमावली व आवश्यक निर्देश निम्नवत् है:-

1. 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक किए गए कार्यों की आख्या जनपद द्वारा 30 अप्रैल 2022 तक सर्वोत्तम जनपद योजना हेतु मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराई जायेगी ।
2. चयनित जनपद एवं जनपद के पदाधिकारियों को वर्ष 2022 में प्रादेशिक परिषद/स्थापना दिवस / अन्य विशिष्ट अवसर के अवसर पर पुरस्कृत/सम्मानित किया जायेगा ।
3. सर्वोत्तम जनपद योजना में जनपदों का पृथक—पृथक मूल्यांकन उनकी श्रेणी में किया जायेगा ।
4. सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार की धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि जिला संस्था को एवं अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जिला मुख्यायुक्त, जिला कमिशनर (स्काउट/गाइड), जिला सचिव, जिला संगठन कमिशनर (स्काउट/गाइड) एवं, जिला प्रशिक्षण कमिशनर (स्काउट/गाइड) को जिला मुख्यायुक्त द्वारा कार्य के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जायेगी । योजना में पुरस्कृत जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी पुरस्कार धनराशि देकर सम्मानित किया जायेगा ।

पुरस्कार धनराशि का विवरण :-

“ए” श्रेणी

पुरस्कार	पुरस्कार धनराशि	
	जनपद	जिला विद्यालय निरीक्षक
प्रथम	1 लाख	25 हजार
द्वितीय	75 हजार	15 हजार
तृतीय	50 हजार	10 हजार

“बी” श्रेणी

पुरस्कार	पुरस्कार धनराशि	
	जनपद	जिला विद्यालय निरीक्षक
प्रथम	80 हजार	20 हजार
द्वितीय	60 हजार	10 हजार
तृतीय	40 हजार	05 हजार

नोट— यदि जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला मुख्यायुक्त भी है, तो ऐसी स्थिति में जिला संस्था को प्राप्त होने वाली पुरस्कार धनराशि में से जिला मुख्यायुक्त धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे । तथा उनके हिस्से की धनराशि जिला संस्था के पास चली जाएगी ।

5—प्रदेश स्तर पर सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना में प्रतिभागिता हेतु जनपदों का चयन एक समिति के माध्यम से किया जायेगा जिसका गठन प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा किया जायेगा।

6—चयन करने का आधार एंव स्वमूल्यांकन प्रक्रिया :— प्रत्येक जनपद का निम्नांकित 14 बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जायेगा तथा योजना के अनुरूप कुल 100 अंकों में से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रथम तीन जनपदों का चयन दोनों श्रेणीयों में पृथक किया जायेगा।

बिन्दु	अंक
1 पंजीकृत दल (अनुदानित बेसिक विद्यालयों के दलों को छोड़कर)	10
2 नवीनीकृत दल(अनुदानित बेसिक विद्यालयों के दलों को छोड़कर)	10
3 10 प्रतिशत स्काउट/गाइड अंशदान	10
4 वयस्क प्रशिक्षण बिगनर कोर्स, बेसिक/एडवांस कोर्स, विशेषज्ञता कोर्स	05
5 एच०डब्लू०बी०/प्री०ए०एल०टी०/ए०एल०टी० तैयार करने पर	05
6 राज्य पुरस्कार प्राप्त स्काउट/गाइड/रावेर/रेंजर की संख्या	05
7 प्रदेश संस्था के आजीवन सदस्यों की संख्या	10
8 प्रादेशिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता	05
9 राष्ट्रीय स्तर अवार्ड (पी०एम०शील्ड, लक्ष्मी मजूमदार, उपराष्ट्रपति अवार्ड) में प्रतिभागिता	05
10 जिला कार्यकारिणी/जिला काउंसिल/विभिन्न समितियों की बैठकें	05
11 जिला संस्था का वित्तीय प्रशासन	05
12 जिला संगठन	05
13 बेवसाइड अपडेशन और ओ०वाई०.एम०एस० अपडेशन	10
14 अवशेषों के वसूली की स्थिति	10

कुल 100 अंक

मूल्यांकन प्रक्रिया—मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

बिन्दु-1— दल पंजीकरण (अनुदानित बेसिक दलों को छोड़कर) — प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विपरीत माध्यमिक/शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालय राजकीय विद्यालय, महाविद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2021–22 में पंजीकृत कराए गए दलों की संख्या के आधार पर कुल 10 अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार होगा :—
जनपद द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत दलों के विवरण पर अंक का निर्धारण :-

100 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-10 अंक
90 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-09 अंक
80 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-08 अंक
70 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-07 अंक
60 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-06 अंक
50 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-05 अंक
40 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-04 अंक
40 प्रतिशत से कम पंजीकृत दल होने पर	-शून्य अंक

बिन्दु-2 —नवीनीकृत दल (अनुदानित बेसिक दलों को छोड़कर) — प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जनपद में पंजीकृत दलों के सापेक्ष जनपद द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण कराने पर कुल 10 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :—

जनपद द्वारा पंजीकृत दलों के सापेक्ष नवीनीकरण कराने पर अंक का निर्धारण:- (मूल्यांकन हेतु ए श्रेणी में कम से कम 100 दलों का तथा बी श्रेणी में कम से कम 60 दलों का नवीनीकरण होना अनिवार्य है)

100 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—10 अंक
90 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—09 अंक
80 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—08 अंक
70 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—07 अंक
60 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—06 अंक
50 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—05 अंक
40 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—04 अंक
40 प्रतिशत से कम पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	—शून्य अंक

बिन्दु-3 —10 प्रतिशत स्काउट/गाइड अंशदान— वित्तीय वर्ष 2021–22में प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जनपदों को 10 प्रतिशत अंशदान में दिये गये लक्ष्य के अनुक्रम में मुख्यालय को प्राप्त धनराशि के आधार पर कुल 10 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :—

100 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—10 अंक
90 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—09 अंक
80 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—08 अंक
70 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—07 अंक
60 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—06 अंक
50 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—05 अंक
40 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—04 अंक
30 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—03 अंक
20 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	—02 अंक
20 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	— शून्य अंक

बिन्दु-4 —वयस्क प्रशिक्षण बिगनर कोर्स, बेसिक/एडवांस कोर्स, विशेषज्ञता कोर्स—प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनपद द्वारा निम्नवत् प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभागिता के आधार पर कुल 5 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :—

'ए'—बिगिनर्स कोर्स —

जनपद स्तर पर बिगिनर्स कोर्स का आयोजन करने पर 300 की प्रतिभागिता होने पर

— 1 अंक

'बी'-बेसिक कोर्स —

जनपद स्तर पर सभी विंग में बेसिक कोर्स के आयोजन करने पर निम्नवत् संख्या में यूनिट लीडर की प्रतिभागिता पर कुल 2 अंकों का निर्धारण निम्नवत् हैः—

प्रतिभागी कब मास्टर	सं0— 40 होने पर	— 1/3 अंक
प्रतिभागी फ्लाक लीडर	सं0— 40 होने पर	— 1/3 अंक
प्रतिभागी स्काउट मास्टर	सं0— 40 होने पर	— 1/3 अंक
प्रतिभागी गाइड कैप्टन	सं0— 40 होने पर	— 1/3 अंक
प्रतिभागी रोवर लीडर	सं0— 40 होने पर	— 1/3 अंक
प्रतिभागी रेंजर लीडर	सं0— 40 होने पर	— 1/3 अंक

सी—विशेषज्ञता कोर्स —जनपद स्तर पर स्कीम आफ ट्रेनिंग के आधार पर कोई 6 विषयों से संबंधित कोर्स आयोजित करने पर प्रत्येक कोर्स में 50 की संख्या में प्रतिभागिता होने पर कुल कुल 2 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :—

प्रत्येक बिषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी	सं0— 50 होने पर	— 1/3 अंक
प्रत्येक बिषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी	सं0— 50 होने पर	— 1/3 अंक
प्रत्येक बिषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी	सं0— 50 होने पर	— 1/3 अंक
प्रत्येक बिषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी	सं0— 50 होने पर	— 1/3 अंक
प्रत्येक बिषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी	सं0— 50 होने पर	— 1/3 अंक
प्रत्येक बिषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी	सं0— 50 होने पर	— 1/3 अंक

बिन्दु—5—एच०डब्लू०बी० / प्री०ए०एल०टी० / ए०एल०टी० तैयार करने पर —जनपद स्तर पर 1:4 (एक अनुपात चार) के अनुपात में यूनिट लीडर तैयार करने पर अर्थात् एक हिमालय उडबैज तैयार होने पर सम्बन्धित को 4 एडवांस लीडर तैयार करने हैं। इसी प्रकार 1 प्री०ए०एल०टी० और 1 ए०एल०टी० तैयार होने पर सम्बन्धित ट्रेनर को कमशः 4 हिमालय उडबैज और 4 प्री०ए०एल०टी० तैयार करने की स्थिति में कुल 5 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :—

हिमालय उडबैज	— 02 अंक
प्री०ए०एल०टी०	— 02 अंक
ए०एल०टी०	— 01 अंक

बिन्दु—6—राज्य पुरस्कार प्राप्त स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर की संख्या— वित्तीय वर्ष में जनपद द्वारा राज्य पुरस्कार (स्काउट/गाइड)/(रोवर/रेंजर) तैयार कराये जाने पर प्रतिभागिता एवं संख्या के आधार पर कुल 5 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :—

राज्य पुरस्कार स्काउट तैयार करने पर	— 1½ अंक
राज्य पुरस्कार गाइड तैयार करने पर	— 1½ अंक
राज्य पुरस्कार रोवर तैयार करने पर	— 01 अंक
राज्य पुरस्कार रेंजर तैयार करने पर	— 01 अंक

बिन्दु-7 —प्रदेश संस्था के आजीवन सदस्यों की संख्या— प्रदेश द्वारा दिये गये लक्ष्य के अनुसार आजीवन सदस्य बनाये जाने पर कुल 10 अंकों में से अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :—

100 प्रतिशत आजीवन सदस्य बनाये जाने पर	— 10 अंक
90 प्रतिशत आजीवन सदस्य बनाये जाने पर	— 09 अंक
80 प्रतिशत आजीवन सदस्य बनाये जाने पर	— 08 अंक
70 प्रतिशत आजीवन सदस्य बनाये जाने पर	— 07 अंक
60 प्रतिशत आजीवन सदस्य बनाये जाने पर	— 06 अंक
50 प्रतिशत आजीवन सदस्य बनाये जाने पर	— 05 अंक
40 प्रतिशत आजीवन सदस्य बनाये जाने पर	— 04 अंक
30 प्रतिशत आजीवन सदस्य बनाये जाने पर	— 03 अंक
20 प्रतिशत आजीवन सदस्य बनाये जाने पर	— 02 अंक
10 प्रतिशत आजीवन सदस्य बनाये जाने पर	— 01 अंक
10 प्रतिशत से कम आजीवन सदस्य बनाये जाने पर	— शून्य

बिन्दु-8 —प्रादेशिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता :- वित्तीय वर्ष 2021–22 में संगठन व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागिता कराये जाने पर कुल 5 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :—

प्रशिक्षण कार्यक्रम

ए—रिओरिएशन / रियूनियन में प्रतिभागिता होने पर	— 01 अंक
बी—सेमिनार / सिम्पोजियम में प्रतिभागिता होने पर	— 01 अंक
सी—आफिसर्स कोर्स में प्रतिभागिता होने पर	— 01 अंक

संगठन कार्यक्रम

ए—डिस्ट्रिक्ट लेविल आफिसर / यूनिट लीडर सेमिनार में प्रतिभागिता होने पर	— 01 अंक
बी—ब्याय / गर्ल कार्यक्रमों में प्रतिभागिता होने पर	— 01 अंक

बिन्दु-9—राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड (पी0एम0शील्ड, लक्ष्मी मजूमदार, उपराष्ट्रपति अवार्ड)में प्रतिभागिता— वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रदेश द्वारा निर्धारित तिथि पर पी0एम0 शील्ड, लक्ष्मी मजूमदार, उपराष्ट्रपति अवार्ड में प्रतिभागिता के लिए पंजीकरण कराने पर कुल 5 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :—

ए— पी0एम0 शील्ड प्रतियोगिता हेतु स्काउट विंग से 6 आवेदन पंजीकृत कराने पर	— 01 अंक
बी— पी0एम0 शील्ड प्रतियोगिता हेतु गाइड विंग से 6 आवेदन पंजीकृत कराने पर	— 01 अंक
सी— उपराष्ट्रपति अवार्ड में प्रतियोगिता हेतु रोवर विंग से 4 आवेदन पंजीकृत करा ने पर	— 01 अंक
डी— उपराष्ट्रपति अवार्ड में प्रतियोगिता हेतु रेजर विंग से 4 आवेदन पंजीकृत कराने पर	— 01 अंक
ई— लक्ष्मी मजूमदार अवार्ड में प्रतियोगिता हेतु स्काउट / गाइड, रोवर / रेजर, विंग में 4 आवेदन पंजीकृत कराने पर	— 01 अंक

बिन्दु-10-जिला कार्यकारिणी/जिला काउन्सिल/विभिन्न समितियों की बैठकें –वित्तीय वर्ष 2021–22 में ए0पी0आर0ओ0 के अनुसार अनिवार्य जिला कार्यकारिणी/जिला काउन्सिल/विभिन्न समितियों की बैठके आयोजित किये जाने पर जिनका कार्यवृत्त भी मुख्यालय को प्रेषित किया हो, कुल 5 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :–

- ए—जिला कार्यकारिणी की 2 अनिवार्य बैठकों के आयोजन पर — 02 अंक
बी—जिला परिषद की 1 अनिवार्य बैठक के आयोजन पर — 01 अंक
सी—विभिन्न समितियों की बैठकों के आयोजन पर — 02 अंक

बिन्दु-11-जिला संस्था का वित्तीय प्रशासन—प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जिला संस्था को वित्तीय प्रशासन के दिशा निर्देश प्रादेशिक मुख्यालय के पत्र सं0 सी0जी0—94 / 2020—21 दिनांक 24.09.2020 द्वारा प्रेषित किये गये है। जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिला संस्था द्वारा वित्तीय प्रशासन की व्यवस्था के अनुपालन पर कुल 5 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :–

- ए—जिला संस्था द्वारा नियमित आडिट कराने तथा वित्तीय वर्ष की प्रादेशिक मुख्यालय को आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर — 02 अंक
बी—जिला संस्था के खाते का नियमानुसार संचालन कराये जाने पर — 01 अंक
सी—प्रादेशिक अंशदान का जिला संस्था द्वारा समय से भुगतान किये जाने पर — 01 अंक
डी—वित्तीय अभिलेखों का नियमानुसार रख रखाव किये जाने पर — 01 अंक

बिन्दु-12—जिला संगठन— जिला संस्था द्वारा जिला कार्यकारिणी एवं जिला काउन्सिल के सभी पदों पर नियमानुसार नियुक्ति कराये जाने पर जिला संस्था के कार्यालय व अभिलेखों को व्यवस्थित किये जाने पर कुल 5 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :–

- ए—जिला कार्यकारिणी/जिला काउन्सिल के सभी पदों पर नियुक्ति होने पर — 02 अंक
बी—जिला संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट/गाइड, सहायक जिला कमिशनर, (स्काउट/गाइड) मुख्यालय आयुक्त (स्काउट/गाइड)के अधिकार पत्र निर्गत होने पर — 01 अंक
सी—जिला संस्था के अभिलेखों का नियमानुसार रखरखाव होने पर — 01 अंक
डी—जिला संस्था का कार्यालय व्यवस्थित होने पर — 01 अंक

बिन्दु-13—वेबसाइट अपडेशन और ओ०वाई०.एम०एस० अपडेशन/यू०आई०डी० अपडेशन— वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जिला संस्थाओं को वेबसाइट अपडेशन और ओ०वाई०.एम०एस० अपडेशन के सुचारू रूप से जनपदों में संचालित किये जाने हेतु निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उसी क्रम में कुल 10 अंकों में से अनुपालन की स्थिति में अंकों का निर्धारण निम्नवत् होगा:—

(I) OYMS के अनुसार जनपदों द्वारा दलों का आन लाइन कराना – 5 अंक (इनका मूल्यांकन निम्नप्रकार होगा)

ओ०वाई०.एम०एस० के अनुसार जनपदों द्वारा दलों को 100 प्रतिशत आनलाइन कराये जाने पर –05 अंक
ओ०वाई०.एम०एस० के अनुसार जनपदों द्वारा दलों को 50 प्रतिशत आनलाइन कराये जाने पर –02 अंक
ओ०वाई०.एम०एस० के अनुसार जनपदों द्वारा दलों को 25 प्रतिशत आनलाइन कराये जानेपर –01 अंक
ओ०वाई०.एम०एस० के अनुसार जनपदों द्वारा दलों को 25 प्रतिशत से कम आनलाइन कराये जाने –शून्य अंक

(II) सभी दलों की यू०आई०डी० उपलब्ध कराने पर –01 अंक

(III) जनपद स्तर पर वेबसाइट लागू कराये जाने पर (मुख्यालय के वेबपेंज पर) तथा उसके अपडेशन पर –02 अंक

(IV) जनपद स्तर पर डिजिटल द्रांनजक्सन करने पर –01 अंक

(V) जनपद स्तर से ट्रैमासिक पत्रिका में योगदान करने पर –01 अंक

बिन्दु-14—अवशेषों के वसूली की स्थिति :— प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जिला संस्थाओं को प्रादेशिक मुख्यालय के नवीनीकरण/सम्बद्धता शुल्क/अंशदान के अवशेषों की सूचना प्रेषित की गई है। जिला संस्था द्वारा अवशेषों के सम्बन्ध में प्रादेशिक मुख्यालय को धनराशि प्रेषित किये जाने पर कुल 10 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :—

100 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 10 अंक
90 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 09 अंक
80 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 08 अंक
70 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 07 अंक
60 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 06 अंक
50 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 05 अंक
40 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 04 अंक
30 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 03 अंक
20 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 02 अंक
20 प्रतिशत से कम अवशेष धनराशि जमा करने पर	— शून्य अंक

नोट— निर्धारित प्रारूप के साथ सर्पोटिंग डाकूमेण्ट्स लगाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

7—समय सीमा :—

निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने की अंतिम तिथि— 30 जून, 2022

8—योजना के अन्तर्गत क्वालीफाई करने एवं अर्ह होने के लिए 100 अंकों में से कम से कम 60 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 60 अंक से कम अंक प्राप्त करने पर जनपद पुरस्कार प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।

9—सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना में समस्त अधिकार प्रादेशिक मुख्यालय के निहित होंगे तथा प्रादेशिक मुख्यालय का निर्णय अंतिम होगा।



भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश

प्रादेशिक मुख्यालय : महानगर, लखनऊ

सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना - प्रारूप

जनपद :

जनपद सम्बद्धता क्रमांक :

विषय 01 – यूनिट पंजीकरण

- जनपद में स्थित अशासकीय मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या :
- जनपद में स्थित राजकीय विद्यालयों की संख्या :
- जनपद में स्थित अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या :
- जनपद में स्थित राजकीय महाविद्यालयों की संख्या :
- जनपद में स्थित बेसिक विद्यालयों की संख्या :
- वित्तीय वर्ष से पूर्व जनपद में कुल पंजीकृत यूनिट्स की संख्या :

1. जनपद में वित्तीय वर्ष में पंजीकृत यूनिट्स की संख्या (बेसिक अनुदानित को छोड़कर) निम्नानुसार

कब	बुलबुल	स्काउट	गाइड	रोवर	रेंजर	कुल

- ✓ प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा दिया गया लक्ष्य :
- ✓ जनपद द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि का प्रतिशत :

विषय 02 – यूनिट नवीनीकरण

1. जनपद में वित्तीय वर्ष में नवीनीकृत यूनिट्स की संख्या (बेसिक अनुदानित को छोड़कर) :

विवरण	कब	बुलबुल	स्काउट	गाइड	रोवर	रेंजर	कुल
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत जनगणना प्रपत्र के अनुसार यूनिट्स की संख्या							
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत जनगणना प्रपत्र के सापेक्ष नवीनीकृत यूनिट्स की संख्या							

- ✓ प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा दिया गया लक्ष्य :
- ✓ जनपद द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि का प्रतिशत :

विषय 03 – 10 प्रतिशत अंशदान

1. वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत अंशदान का विवरण

विवरण	धनराशि
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र के अनुसार 10% अंशदान की धनराशि	
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र के सापेक्ष जमा की गई धनराशि	

- ✓ प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा दिया गया लक्ष्य :

✓ जनपद द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि का प्रतिशत :

विषय 04 – वयस्क प्रशिक्षण

1. वयस्क प्रशिक्षण बिगनर्स कोर्स, बेसिक/एडवांस कोर्स, विशेषज्ञता कोर्स के प्रतिभागिता

➤ बिगनर्स कोर्स :-

कोर्स की संख्या	प्रतिभागी संख्या

➤ जनपद में आयोजित सभी विंग में बेसिक कोर्स के आयोजन पर प्रतिभागी संख्या :-

कब मास्टर	फ्लाक लीडर	स्काउट मास्टर	गाइड कैप्टन	रोवर लीडर	रेंजर लीडर

➤ विशेषज्ञता कोर्स :- जनपद में आयोजित कोई 06 विषयों पर विशेष कोर्स के आयोजन का विवरण

क्रम सं.	कोर्स का नाम	कोर्स की संख्या	प्रतिभागी संख्या
1			
2			
3			
4			
5			
6			

विषय 05 – एच०डब्लू०बी०/प्री ए०एल०टी०/ए०एल०टी० :-

➤ वित्तीय वर्ष में जनपद में तैयार एच०डब्लू०बी० धारक / ट्रेनर्स की संख्या

एच०डब्लू०बी०	प्री ए०एल०टी०	ए०एल०टी०

विषय 06 – राज्य पुरस्कार (स्काउट/गाइड, रोवर रेंजर) :-

➤ वित्तीय वर्ष में जनपद में जाँच शिविर में सफल स्काउट/गाइड, रोवर रेंजर की संख्या

स्काउट	गाइड	रोवर	रेंजर

विषय 07 – आजीवन सदस्य :-

- वित्तीय वर्ष में जनपद द्वारा बनाये गये आजीवन सदस्यों की संख्या

प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के सापेक्ष बनाए गये सदस्य

✓ जनपद द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि का प्रतिशत :

विषय 08 – प्रादेशिक कार्यक्रम में प्रतिभागिता :-

- प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रमों सं०	कोर्स का नाम	प्रतिभागी संख्या
1	रि० ओरियंटेशन / रियूनियन	
2	सेमीनार / सिपोज़ियम	
3	आफिसर्स कोर्स	

- संगठन कार्यक्रम

क्रमों सं०	कोर्स का नाम	प्रतिभागी संख्या
1	डिस्ट्रिक लेवल आफिसर्स कोर्स/ यूनिट लीडर लीडर सेमीनार	
2	बालक / बालिका कार्यक्रम	

विषय 09 – राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड :-

- वित्तीय वर्ष में जनपद द्वारा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता, उपराष्ट्रपति, लक्ष्मी मजुमदार पुरस्कार के लिए पंजीकृत यूनिट की संख्या

प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता (स्काउट)	प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता (गाइड)	उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता (रोवर)	उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता (रेन्जर)	लक्ष्मी मजुमदार पुरस्कार

विषय 10 – जिला कार्यकारिणी / जिला काउन्सिल / विभिन्न समितियों की बैठकें :-

- वित्तीय वर्ष में जिला संस्था द्वारा आयोजित जिला कार्यकारिणी / जिला काउन्सिल / विभिन्न समितियों की बैठकों का विवरण

क्रमोंसं०	नाम	बैठकों की संख्या	दिनांक	स्थान	प्रतिभागी संख्या	बैठक का कार्यवृत्त जारी दिनांक
1.	जिला कार्यकारिणी					
2.	जिला काउन्सिल					
3.	विभिन्न समितियां (नाम अंकित करें)	1				

2					
3					
4					
5					

विषय 11 – जिला संस्था का वित्तीय प्रशासन :-

- वित्तीय वर्ष में जिला संस्था का वित्तीय प्रशासन हेतु निम्नानुसार अनुपालन की स्थिति : (हाँ या नहीं अंकित करें)

क्रमों सं०	विवरण	हाँ या नहीं	आडिट रिपोर्ट/अंशदान भेजने की दिनांक
1	जिला संस्था में नियमित आडिट हो रहा है		
2	वित्तीय वर्ष की जिला संस्था द्वारा प्रादेशिक मुख्यालय को आडिट प्रेषित की गई		
3	जिला संस्था के खाते का नियमानुसार संचालन		
4	प्रादेशिक अंशदान का जिला संस्था द्वारा समय से भुगतान		
5	वित्तीय अभिलेखों का नियमानुसार रख रखाव		

विषय 12 – जिला संगठन :-

- वित्तीय वर्ष में जिला संस्था द्वारा जिला कार्यकारिणी एवं जिला काउन्सिल के सभी पदों पर नियमानुसार नियुक्ति एवं जिला संस्था के कार्यालय व अभिलेखों को व्यवस्थित किये जाने की स्थिति (हाँ या नहीं में अंकित करें)

क्रमों सं०	विवरण	हाँ या नहीं
1	जिला संस्था द्वारा जिला कार्यकारिणी एवं जिला काउन्सिल के सभी पदों पर नियमानुसार नियुक्ति (नियुक्ति की दिनांक भी अंकित करें)	
2	जिला संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) सहायक जिला आयुक्त (स्काउट/गाइड) मुख्यालय आयुक्त (स्काउट/गाइड) के अधिकार पत्र निर्गत (निर्गत करने की दिनांक भी अंकित करें)	
3	जिला संस्था के अभिलेखों का नियमानुसार रखरखाव (अभिलेखों की सूची भी संलग्न करें)	
4	जिला संस्था का कार्यालय व्यवस्थित (फोटोग्राफ संलग्न करें)	

विषय 13 – वेबसाइट अपडेशन :-

- जिला संस्था द्वारा वेबसाइट और आई०टी० सम्बंधित अपडेशन की जानकारी निम्नानुसार अंकित करें

OYMS पर पंजीकृत कुल यूनिट्स की संख्या तथा प्रतिशत लक्ष्य के प्रति	जनपद द्वारा कितने दलों को UID उपलब्ध कराई गई	जनपद के वेबपेज के अपडेशन की स्थिति (हाँ या नहीं में अंकित करें) साक्ष्य संलग्न करें।	जनपद द्वारा डिजिटल ट्रान्जेक्शन किया जा रहा है (हाँ या नहीं में अंकित करें) साक्ष्य संलग्न करें।	त्रिमासिक पत्रिका में योगदान (हाँ या नहीं में अंकित करें) साक्ष्य संलग्न करें।

विषय 14 – अवशेषों के वसूली की स्थिति :-

- वित्तीय वर्ष में प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा प्रेषित नवीनीकरण / सम्बद्धता शुल्क / अंशदान के अवशेषों की स्थिति

क्रमांक	विवरण	धनराशि	प्रतिशत
1	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र के अनुसार नवीनीकरण मद में कुल धनराशि		
	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र के सापेक्ष अनुसार नवीनीकरण मद में जमा की गई कुल धनराशि तथा प्रतिशत		
2	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र के अनुसार सम्बद्धता शुल्क में कुल धनराशि		
	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र के सापेक्ष सम्बद्धता शुल्क में जमा की गई कुल धनराशि तथा प्रतिशत		
3	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र के अनुसार 10% प्रतिशत मद में कुल धनराशि		
	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र के सापेक्ष 10% प्रतिशत मद में जमा की गई कुल धनराशि तथा प्रतिशत		
4	अवशेषों की कुल धनराशि		
5	कुल अवशेषों के सापेक्ष जमा धनराशि तथा प्रतिशत		

=====XXX=====